प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

युगलपीठ :माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं

माननीय श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीशगण

---------- **दांडिक**

अपील क्रमांक : 1178/2003

अपीलकर्ता (अभिरक्षा में): बहारन सिंह एवं बालक

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही

(आर.एल. झंवर)

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा

मैं सहमत हूं

सही/-

(टी.पी.शर्मा)

न्यायाधीश निर्णय की उद्घोषणा दिनांक: 22.09.2010

सही/-

(आर.एल. झंवर)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ :माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं

माननीय श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक : 1178/2003

अपीलकर्ता (अभिरक्षा में): बहारन सिंह एवं बालक, पिता- रमेसर वर्माउम्र 48 वर्ष, निवासी करचुआ चौकी,खंडसरा, तहसील-बेमेतरा,जिला दुर्ग

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री अभय तिवारी, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय दिनांक (22.09.2010 को पारित)

निम्नलिखित न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश आर.एल. झंवर द्वारा दिया गया:

अपीलकर्ता बहारन सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है तथा धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास) तथा धारा 506 भाग-2 के अंतर्गत छह माह का कठोर कारावास की सजा तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बेमेतरा, जिला दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 189/2003 में दिनांक 31.10.2003 के निर्णय पारित किया गया है। इसी निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उसके विरुद्ध लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध न होने के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दोषी ठहराकर दण्डित किया, जो कि अवैध है।

3. अभियोजन पक्ष तर्क है कि पीड़िता (अ.साक्ष्य.-1) अपीलकर्ता की पुत्रवधू है। पीड़िता (अ.साक्ष्य.-1) ने दिनांक 25.08.2003 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि दिनांक 25.08.2003 से लगभग चार माह पूर्व गांव में अपीलकर्ता ने उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया।पीड़िता के साथ बलात्कार करने के पश्चात्, अपीलकर्ता ने उसे यह धमकी भी दी कि यदि वह इस घटना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। यह भी आरोप लगाया गया कि अपने पुत्र के मानसिक रोग के कारण अस्पताल में भर्ती होने की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए, अपीलकर्ता ने पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया। उसकी रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया, तथा पटवारी द्वारा स्थल पंचनामा तैयार किया गया, जिसका उल्लेख प्रदर्श.पी.-3 में है।

4. अ.साक्ष्य.-1 पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु डॉ. श्रीमती आर. देवधर (अ.साक्ष्य.-2) के पास भेजा गया, जिन्होंने दिनांक 27.08.2003 को परीक्षा की। परीक्षण के दौरान पीड़िता के शरीर पर किसी भी हिस्से में चोट के निशान नहीं पाए गए। डॉ. आर. देवधर बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दे सकीं तथा यह राय दी कि पीड़िता संभोग की अभ्यस्त प्रतीत होती है। जांच के दौरान, अपीलकर्ता को भी दिनांक 26.08.2003 को हिरासत में लेकर चिकित्सीय परीक्षण हेतु डॉ. एन.के. तिवारी (अ.साक्ष्य.-5) के पास भेजा गया, जिन्होंने परीक्षण कर यह राय दी कि अपीलकर्ता संभोग करने में अक्षम है। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-5 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जांच पूर्ण होने के पश्चात्, अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेमेतरा, के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से यह मामला सत्र न्यायालय को विचारार्थ प्रतिबद्ध किया गया। तत्पश्चात्, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचारण हेतु यह प्रकरण प्राप्त किया।

6. अपीलकर्ता/आरोपी के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया। आरोपी का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों का खंडन किया, स्वयं को निर्दोष बताया तथा झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया गया। धारा 313 के बयान में, अपीलकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता का भाई प्रह्लाद उससे कुछ धन उधार लेकर चुका नहीं रहा था, और जब उससे धन वापस माँगा गया तो प्रह्लाद ने उसे झूठे मुकदमे में फँसा दिया।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर पैराग्राफ 1 में वर्णित दण्ड से दण्डित किया।

8. श्री अभय तिवारी, अपीलकर्ता के अधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी.-1) को सिद्ध ही नहीं कर पाया है, जो कि चार माह से अधिक की अत्यधिक विलंबित अवधि के बाद दर्ज कराई गई थी तथा अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में 4 माह से अधिक विलंब करने के संबंध में भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि अभियुक्त उसके साथ दुराचार कर रहा था, तब उसने न तो कोई शोर मचाया और न ही सहायता के लिए पुकारा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि

3.....

2010:CGHC:11394

अभियोक्त्री सहमति देने वाली पक्ष है। चिकित्सकीय साक्ष्य ने अभियोजन की उस कहानी को भी कमजोर कर दिया कि अभियोक्त्री संभोग की अभ्यस्त थी। अभियोजन के साक्षियों के कथनों में भी परस्पर विरोधाभास पाए गए, विशेषकर अ.साक्ष्य.1 अभियोक्त्री तथा उसकी माता अ.साक्ष्य.2 दुखिया बाई के कथनों में। अंततः यह तर्क भी दिया गया कि अभियुक्त को सुनाई गई सज़ा अत्यधिक कठोर है तथा वह अपने दोषसिद्धि के बाद से जेल में है। इन आधारों पर अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का आग्रह किया गया। अधिवक्ता ने राजू एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2009) 3 एस.सी.सी. (क्रि.) 751; राधू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2008) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 207; जगन्निवासन बनाम केरल राज्य, 1995 क्रि.एल.जे. 3239 तथा शिव राज सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2002 (भाग-II) एम.पी.जे.आर. एस.एन. 19 का अवलंबन लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, श्री संदीप यादव, उपमहाधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री अ.साक्ष्य. 1 का कथन ही अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्रीकान्त शिकारी, ए.आई.आर. 2004 सुप्रीम कोर्ट 4404 पर निर्भरता व्यक्त की।

10. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा आक्षेपित निर्णय सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

11. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समझने हेतु, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया। इस मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि अभियोजन की साक्षी अ.साक्ष्य.1 अभियोक्त्री अ.साक्ष्य.3 दुखिया बाई (अभियोक्त्री की माता) तथा अ.साक्ष्य.6 प्रहलाद (अभियोक्त्री के भाई) के कथनों पर आधारित है। अ.साक्ष्य.1 अभियोक्त्री ने अपने कथन में कहा कि उसका विवाह सुरेंद्र से हुआ था, जो अभियुक्त का पुत्र है। चूंकि सुरेंद्र मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए वर्तमान अपीलार्थी ने उसे पीड़िता के मायके केवची भेज दिया। । इसके पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी सुरेंद्र को उसके उपचार हेतु भिलाई ले गया। दो–तीन दिन बाद अभियुक्त केवची आया और उसे कर्छुआ, उसके ससुराल ले गया। बाद में अभियुक्त ने जलवंती बाई तथा डेढ़सास (ननद) उर्वशी बाई को भी भिलाई

भेज दिया। इस प्रकार वे दोनों भी घटना के समय उपस्थित नहीं थीं। अभियोक्त्री के अनुसार वह अपने बच्चों एवं अपने ससुर (अभियुक्त) के साथ गाँव मे थीं। कर्छुआ में रहने वाली एक महिला का शव मंगलवार को उसके घर के बरामदे में मिला था और घटना की दिन को वह अपने कमरे में सो रही थी और उसका ससुर (अभियुक्त) बरामदे में सो रहा था, रात्रि लगभग 11 बजे अभियुक्त उसके पास आया और उसके कपड़े उतारने का प्रयास करने लगा, जिस पर उसने शोर मचाने का प्रयास किया, किंतु अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसका मुँह दबा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद अभियुक्त बाहर चला गया। अभियोक्त्री भय के कारण घटना किसी को बताने में असमर्थ थी और रिपोर्ट भी नहीं कर सकी। कंडिका 5 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी.1 में उसके साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि घटना के बाद उसका ससुर भिलाई चला गया और उसका भाई प्रहलाद उसके पास आया और वह उसके साथ अपने मायके चली गई।उसने अपने बयान में यह भी कहा कि जब उसके पति मानसिक बीमारी से स्वस्थ हुए और उसे ले जाने आए, तो उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया।

4....

2010:CGHC:11394

//4//

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जब उसकी माँ और पिता ने कारण पूछा, तब उसने 4 माह पूर्व घटी घटना के बारे में बताया। इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी.1 दर्ज की गई और उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। परीक्षण उसने इस तथ्य से इनकार किया कि उसका भाई प्रहलाद उसके ससुर से 7,000/- रूपये उधार लिए था और चुकाने में असमर्थ होने के कारण उसने उसके ससुर को झूठा फँसाया। जिरह में उसने यह भी विशेष रूप से कहा कि जब वह अपने मायके जा रही थी, तब अपीलार्थी ने धमकी दी थी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसे जान से मार देगा, इसी कारण वह मायके पहुँचने के बाद भी अपने माता-पिता को तुरंत घटना नहीं बता सकी, क्योंकि उसने अपने परिवार की स्थिति देखी।

12. उपर्युक्त साक्ष्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अभियोक्त्री का ससुर है। परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने 4 माह से अधिक विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और यह भी नहीं जानती थी कि इतने विलंब के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः भारतीय परंपरागत एवं रूढ़िवादी समाज में कोई स्त्री अपनी पवित्रता या चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी घटना को स्वीकार करने में अत्यधिक झिझक महसूस करती है। वह समाज, परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों द्वारा उपेक्षित या तिरस्कृत किए जाने के भय से सदैव ग्रस्त रहती है। उसके अपने पति तथा निकट संबंधियों का प्रेम और सम्मान खोने का भी जोखिम रहता है और उसके वैवाहिक जीवन तथा सुख-शांति के टूटने का भय भी बना रहता है। यह सब मानसिक पीड़ा और यातना का कारण बन सकता है। दूसरों द्वारा उपहास या ताने कसे जाने का डर भी उसे सदैव सताता रहता है वह (अभियोक्त्री) किसी अन्य व्यक्ति को इस घटना के बारे में बताते हुए अत्यधिक लज्जित होती, क्योंकि एक परंपरागत समाज में उसका पालन-पोषण हुआ है

जहाँ सामान्यतः यौन विषयों पर चर्चा वर्जित मानी जाती है। पीड़िता को यह भय भी सदैव बना रहता है कि कहीं उसे ही चरित्रहीन या किसी न किसी रूप में घटना की जिम्मेदार न ठहरा दिया जाए, जबकि वह निष्पाप हो। इस मामले में अभियोक्त्री ने अपने परिवार के सामाजिक स्तर तथा इस भय को देखते हुए कि कहीं उसे अपने पति एवं निकट संबंधियों का सम्मान न खोना पड़े, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त उसका ससुर है — उसने तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और न ही किसी को घटना बताई।एक परंपरागत समाज में किसी स्त्री के लिए यह सहज संभव नहीं है कि वह अपने साथ हुए बलात्कार की रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराए या दूसरों को इसके बारे में बताए, विशेषकर तब जब अपराधी उसका अपना ससुर हो। और जैसे ही वह मानसिक रूप से संयत होती है तथा साहस जुटा पाती है, ऐसे घटनाएँ सामने आती हैं। वर्तमान मामले में भी, निस्संदेह उसने बलात्कार के समय कोई शोर नहीं मचाया और कुछ समय तक घटना की रिपोर्ट भी नहीं की। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अभियुक्त उसका ससुर था, जिसने उसे घटना किसी को न बताने की धमकी दी थी और कहा था कि यदि उसने बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए वह कुछ समय तक बोल नहीं पाई और बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। किसी स्त्री के लिए अपने ही निकट संबंधी को झूठा फँसाना अत्यंत कठिन होता है। यदि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया होता तो वह क्यों 4 माह से अधिक विलंब के बाद रिपोर्ट दर्ज कर अपना ही परिवार दाँव पर लगाती। अभियोक्त्री का कथन उसकी माँ दुखिया बाई (अ.साक्ष्य.3) और उसके भाई प्रहलाद कुमार (अ.साक्ष्य.6) द्वारा भी पुष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय में सामाजिक स्थिति से संबंधित इसी पहलू पर विचार किया है। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलंब का तथ्य, यह देखते हुए कि अभियुक्त उसका ससुर है, अधिक महत्त्व नहीं रखता। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत शिकारी (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि केवल विलंब होना, स्वयं में, अभियुक्त के पक्ष में कोई उपशमनकारी करने वाला कारक नहीं है, जब आरोप उपस्थित हों। उक्त मामले में अभियोक्त्री अभियुक्त/अपीलार्थी की छात्रा थी, जो कि उसका शिक्षक था, और इसी संबंध के कारण वह प्रारंभिक अवसर पर तथ्य प्रकट नहीं कर सकी और रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब होने मात्र से अभियोजन का संस्करण कमजोर नहीं हो जाता और अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाया गया, जबकि अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव को स्वीकार नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा उठाया गया यह बचाव कि उसे झूठा फँसाया गया है, सिद्ध नहीं हुआ। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है। वर्तमान मामले में अभियुक्त अभियोक्त्री का ससुर है और अभियोक्त्री तथा अपीलार्थी के मध्य संबंध अत्यन्त निकट का है। इसी कारण, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेखित है, अपीलार्थी द्वारा दी गई धमकी के कारण वह तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभियोक्त्री ने अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किया और उसका साक्ष्य विश्वसनीय, विश्वास उत्पन्न करने वाला तथा पूर्णतः भरोसेमंद है। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने में कोई त्रुटि नहीं की। अतः यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अत्यधिक विलंब हुआ—वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए—कोई महत्व नहीं रखता।

13. अभियोक्त्री के कथन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने उसे घटना किसी भी व्यक्ति को न बताने की धमकी दी थी और कहा था कि यदि उसने यह तथ्य किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसलिए वह कुछ समय तक बलात्कार की घटना के तथ्य को प्रकट नहीं कर सकी। अतः उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग- II के अंतर्गत दोषसिद्ध कर छह माह के कठोर कारावास से दंडित किया है, जो हमारे विचार में उचित है और जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. जहाँ तक चिकित्सकीय साक्ष्य का प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जाँच के दौरान डॉ. श्रीमती आर. देओधर (अ.साक्ष्य 2) को बलात्कार का कोई निशान नहीं मिला। परंतु इस मामले में डॉक्टर का साक्ष्य उपयोगी नहीं है क्योंकि अभियोक्त्री विवाहिता है। चिकित्सकीय साक्ष्य का अभाव या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब—इनमें से कोई भी कारण अभियोक्त्री के सत्य कथन को कमजोर नहीं करता।

15. अतः हम यह मानते हैं कि अभियोक्त्री एक विश्वसनीय साक्षी है और उसका कथन विश्वास उत्पन्न करता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने अपनी वासना की पूर्ति हेतु, परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में, अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। विचारण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और इस प्रकार अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहाँ तक अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का संबंध है, उन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न हैं। अतः वे इस मामले में लागू नहीं होते।

17. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपीलार्थी को दी गई सज़ा का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास तथा ₹50,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है। हम विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आजीवन कारावास और इतनी बड़ी राशि के जुर्माने से दंडित किए जाने के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। हम इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि अर्थदंड न देने पर दो वर्ष का कारावास दिया जाए। हमारे विचार में धारा 376 के अंतर्गत दी गई सज़ा अत्यधिक है और इसे कम किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम धारा 376 के अंतर्गत सज़ा में संशोधन करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000/- के अर्थदंड से प्रतिस्थापित करते हैं। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

18. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि यथावत् बरकरार रखी जाती है। किंतु उक्त धारा के अंतर्गत दी गई सज़ा में पैराग्राफ 18 में

वर्णित अनुसार संशोधन किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग-II के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं वहाँ दी गई सज़ा भी यथावत् रखी जाती है।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एल. झनवार

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ms Mamta Gupta Adv